

आदेश न इजलास की, जिला मजिस्ट्रेट कुमार सीपी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 353/2024 (धारा 14 सेक्युरिटाईजेसन)  
एलआईसी हाइड्रॉलिक फाईनेन्स लिमिटेड, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. अजय शर्मा पुत्र जीहरी लाल शर्मा,

पता- प्लॉट नं. 207 एक एक, प्लॉट नं. 40, ग्राम नन्दकिशोरपुरा, मान्यादास, जयपुर  
एवं प्लॉट नं. 104, मोहन मार्ग, एस. बी. विहार कॉलोनी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थित- रुकसाना, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक: 21.10.2024

1. रश्रेष में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्मुग्तान हेतु दिनांक 04.02.2020 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी अजय शर्मा के स्वामित्व की संपत्ति प्लॉट नं. 40, जे.पी कॉलोनी, ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यादास, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रथम तल पर स्थित प्लॉट नं. 207, क्षेत्रफल 750 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल राशि 22,80,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 02.11.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दरतावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 22,80,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बंधक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार, ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 22,78,588.50/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 02.11.2022 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर

अप्राथीकरण द्वारा उक्त नोटिस का प्राथी वित्तीय संस्था को कोई जमान नहीं दिया गया और अप्राथीकरण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

4. अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राथीना पत्र स्वीकार कर प्राथी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राथी अजय शर्मा के स्वागित्त की बन्धक संपत्ति प्लॉट नं. 40, जे. पी. कॉलोनी ग्राम नन्दकिशोरपुरा उर्फ मान्यावारा, तहसील रामानेर, जयपुर के प्रथम तल पर स्थित प्लेट नं. 207, क्षेत्रफल 750 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था द्वारा जरिसे सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस सपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीनस्थ जयपुर प्राणीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राथी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



6. आदेश दिनांक 21.10.2024 को सारे इजलास सुनाया गया।

(श्री. जितेन्द्र कुमार सोनी)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर